न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

अपील संख्या-78/2005

1- रामावतार पुत्र स्व0 ईश्वर) जाति खाती निवासी डूमोली खुर्द
2- मुकेश पुत्र स्व0 ईश्वर) तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

3- सुरेश आयु-16 वर्ष) पुत्रगण स्व0 ईश्वर जाति खाती निवासी डूमोली
4- सुनिल आयु 14 साल) खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू । नाबालिग जरिये वली कुदती माता भतेरी देवी पत्नी ईश्वर जाति खाती निवासी डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

5- भतेरी देवी बेवा स्व0 ईश्वर जाति खाती निवासी डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्टस---

--बनाम--

1- घासीराम पुत्र कल्लुराम उर्फ कालू जाति खाती निवासी डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

2- मु0 सरती बेवा कल्लुराम उर्फ कालू (मृतक)

2/1-पानादेवी पुत्री सरतीदेवी स्त्री हरदेवारीलाल जाति खाती निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

3- रतीराम पुत्र औंकार)
4- केसु पुत्र औंकार) तमाम जाति खाती निवासीगण डूमोली
5- खेता पुत्र ज्वाला) खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।
6- सतवीर पुत्र कल्लूराम उर्फ कालु)
7- ओमप्रकाश पुत्रकल्लूराम/कालु)
8- सुभाष पुत्र घडसीराम)
9- बाबूलाल पुत्र घडसीराम)
10-विजयपाल पुत्र घडसीराम)
11-संतराउर्फ संतोष बेवा घडसीराम)
12-महीपाल पुत्र फूलचन्द)
13-राजेन्द्र पुत्र फूलचन्द)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... राजस्व अपील अधिकारी

14- संजय } पुत्रगण फूलचन्द जाति खाती निवासी डूमोली खुर्द तहसील
15- सतपाल } बुहाना जिला झुन्झुनू नाबालिगान जरिये वली कुदरती माता
16- मनोज } पतासी बेवा फूलचन्द जाति खाती निवासी डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

17- पतासी बेवा फूलचन्द जाति खाती निवासी डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

18- स्नेहीराम पुत्र श्योलाल (मृतक)

18/1- आम्रपाली पुत्री स्नेहीराम पत्नी झाबर जाति खाती निवासी फतेहपुरा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

18/2- फूलवती पुत्री स्नेहीराम स्त्री सीताराम जाति खाती निवासी डूमोली खुर्द हाल आबाद फतेहपुरा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

18/3- मुन्नी पुत्री स्नेहीराम पत्नी विनोदकुमार जाति खाती निवासी खोह तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

18/4- अमीलाल पुत्र स्नेहीराम } जाति खाती निवासीगण डूमोली खुर्द
18/5- महेशकुमार पुत्र स्नेहीराम } तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

19- रामेश्वर पुत्र श्योलाल (मृतक)

19/1-बनारसीदेवी पत्नी रामेश्वर

19/2-राजवीर पुत्र रामेश्वर

19/3-अजय पुत्र रामेश्वर

19/4-सुशीला पुत्री रामेश्वर
19/5-कमला पुत्री रामेश्वर
19/6-गीता पुत्री रामेश्वर
19/7-ममता पुत्री रामेश्वर
19/8-लाली पुत्री रामेश्वर

19/9-काली पुत्री रामेश्वर   जाति समस्त खाती निवासीगण डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

20- महीपाल पुत्र ईश्वर जाति खाती निवासी डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

21-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोन्डेन्टस---

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय एंव डिक्री
दिनांक 5-7-2005 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी खेतड़ी ।
---0---

उपस्थिति-

1-श्री मुस्ताकअली खांन एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री उम्मेदराज सैनी एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 10.5.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणात्मक खाता विभाजन व रेकार्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि जमाबन्दी सं0- 2054 से 2057 में खाता संख्या 261 की आराजी ख0नं0 134 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 754 रकबा 0.25 हैक्टर ख0नं0 755 रकबा 0.20 हैक्टर, ख0नं0 756 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 1654 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0नं0 1655 रकबा 0.13 हैक्टर, ख0नं0 1656 रकबा 0.16 हैक्टर, ख0नं0 1700 रकबा 0.20 हैक्टर, ख0नं0 1701 रकबा 0.22 हैक्टर, कुल किता-9 रकबा 1.53 हैक्टर वाके ग्राम डूमोली खुर्द तहसील बुहाना एवं इसी प्रकार खाता संख्या-340 की आराजी ख0नं0 729 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं0 730 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 0.60 हैक्टर वाके ग्राम डूमोली खुर्द तहसील बुहाना में स्थित है ।खाता सं0-261 की आराजी वादीगण एवं प्रति--वादी सं0-1 से 18 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रतिवादी संख्या -1 तथा प्रतिवादी संख्या-11 से 15 के पिता फूलचन्द तथा प्रतिवादी सं0-2 तथा प्रतिवादी सं0- 7 से 9 का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं0-3 व 4 तथा वादी सं0-1 तथा प्रतिवादी सं0-5 व 6 जो वादी सं0-1 के सगे भाई है के पिता कालू का 3/4 हिस्सा है। इस प्रकार प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता सं0- 340 में प्रतिवादी सं0-17 व 18 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं0-3 व 4 तथा वादी सं0-1 के पिता कालू तथा प्रतिवादी सं0-1

के पिता ओंकार पुत्र जुगला उर्फ ज्वाला का 1/2 हिस्सा दर्ज है ।खाता खाता सं0 261 व 340में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-5 व 6 का 1/4 हिस्सा यानि 0.39 हैक्टर भूमि तथा 1/8 हिस्सा यानि 0-07 हैक्टर कुल 0.46 हैक्टर भूमि कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी संख्या-3 का खाता संख्या-340 में नाम दर्ज होने से रह गया जबकि मौके पर उसका उसके हिस्से पर कब्जा है। विवादित आराजी का पक्षकारों ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है किन्तु खातेदारों का खाता अलग अलग नहीं होने से आराजी का विकास नहीं हो रहा तथा बैंक से ऋण लेने व अन्य सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने में भारी असुविधा हो रही है। प्रतिवादीगण ने खाता विभाजन करवाने से मना कर दिया जिस पर यह दावा कर खाता विभाजन का पेश किया । जिसे अदालत मातहत ने प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया । जिसके विरूद्ध प्रतिवादी सं0-3/1 से 3/6 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम 13 सीपीसी पेश किया जिसमें निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता/पति ईश्वर का देहान्त हो गया जिसके बाद उन्हे कायम मुकाम बनाया गया किन्तु प्रार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिये गये। बिना तामिल के आदेश पारित किया है । अतः अदालत हाजा का आदेश दिनांक 5-7-2005 को निरस्त कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जावे । अदालत मातहत ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 सीपीसी खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट अपील पेश की ।अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 सीपीसी के आदेश के विरूद्ध तथा एक अपील आदेश दिनांक 21-7-2003 के विरूद्ध पेश की है ।उक्त दोनो अपील समान आराजी एवं समान पक्षकारों के मध्य होने से अपील संख्या-78/2005 को आधार मानकर निर्णय किया जा रहा है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने स्व0 ईशर के खिलाफ बिना तामिल के दिनांक 5-11-2002 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश अदालत मातहत से करवा लिये इसी दौरान ईशवर का दिनांक01-3-2003 को स्वर्गवास हो गया । स्व0 ईशर के स्वर्गवास के उपरान्त रेस्पोडैन्ट संख्या-1 व 2 द्वारा दिनांक 5-3-03 को कायम बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया ।बिना संशोधित टाईटल पेश किये आगामी पेशी दिनांक 8-4-2003 को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 20 की बिना तामिल किये ही अपीलान्ट सुनिल को छोडकर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये।अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया । जबकि कानूनन अपीलान्ट को उनके पिता का देहान्त हो जाने पर सुनवाई का अवसर दिये ब जाने हेतु अपीलान्ट को नोटिस दिया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने बिना तामिल करवाये अपीलान्ट को बिना सुने आदेश पारित किया है।अपीलान्ट के कब्जा काश्त की आराजी ख0नं0 755, 134 व 1656 की भूमि पर रेस्पोडैन्ट संख्या-1 व 2 का कब्जा काश्त साबित नहीं है इसके बावजूद अदालत मातहत ने गैर कानूनी रूप से प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21-7-2003 जारी की तथा प्रारम्भिक डिक्री की मौके पर बिना भौतिक पालना के निर्णय दिनांक 12-4-2004 व डिक्री दिनांक 16-4-2004 जारी की जो विधि के विपरित है। अदालत मातहत नेअपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आदेश-9 नियम-13 सीपीसी विधि के विपरित खारिज किया है ।अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर न्यायहित में दिया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर अपीलान्ट को सुनवाई एवं जबाब दावा पेश करने का अवसर दिया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या-3 के वारिस है । प्रतिवादी संख्या-3 की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व2 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर बिना प्रतिवादी को सुने बिना कायम मुकाम की तलबी कराये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया । जिसमें कोई संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया । तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-20 की तामिल बिना विधिक प्रक्रिया के ही मानकर एकपक्षिय कार्यवाही कर अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है ।अपीलान्ट की तामिल चस्पांदगी से करवाई है। जिसमें न्यायालय का चस्पांदगी का कोई आदेश नहीं है ।नोटिस चस्पा किये जाने के आदेश तो तब दिये जाते जब हम तामिल लेने से मना करते। हमारे पास तो कोई तामिल लेकर गया ही नहीं । पहली बार ही चस्पांदगी से तामिल करवाई गई जिसमें दो गवाह होने चाहिये किन्तु दो गवाह भी नहीं है ।अपीलान्ट संख्या-3 व 4 तो नाबालिग थे उनके खिलाफ तो एक्स पार्टी भी नहीं किया जा सकता। यदि आप उनकी चस्पांदगी से तामिल मान भी लेते हैं तो न्यायालय उनकी ओर से वली नियुक्त करने के बाद ही आदेश पारित कर सकता है । नाबालिग के हितो की रक्षा करने का दायित्व न्यायालय का भी है ।किन्तु अदालत मातहत ने इन सभी कानूनी बिन्दूओं पर गोर न कर अपना आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 5-7-2005, प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21-7-2003, अन्तिम निर्णय दिनांक 12-4-2004 एवं डिक्री दिनांक 16-4-2004 को खारिज किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-20 को जवाब देही का अवसर देते हुये सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पुनः पारित करने के निर्देश फरमावें ।

विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस का जबाब देते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने ईशार फौत होने पर इनको वारिसा होने से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या-3 के स्थान पर पक्षकार बनाये जाने का पेश किया प्रार्थना पत्र समय सीमा में होने से प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया । इसके बाद कायम मुकाम के नोटिस जारी करने के आदेश दिये कायम मुकाम के नोटिस जारी किये गये । इन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया जिस पर तामिल कुनिन्दा ने नोटिस इनके खुल्ले मकान पर चस्पा किया है । इनके न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है ।अपीलान्ट संख्या-4 जरिये अदालती वली हाजिर हुआ है । उसने इकबालिया जबाब दावा पेश किया है । आज यह कहना गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मौके पर गये है विभाजन प्रस्ताव के बाबत अपीलान्ट को सूचना दी है मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जिसके आधार पर अन्तिम निर्णय एवं डिक्री जारी की जा चुकी है ।अपीलान्ट जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करना चाहता है ।अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत में प्रतिवादी सं0-3 ईशार का देहान्त दिनांक 1-3-2003 को हो जाने पर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र दिनांक 5-3-2003 को पेश किया गया ।इसी दिनांक को इस प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को स्वीकार कर ईशार के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर सम्मन जारी करने के आदेश दिये । जिस पर कायम मुकाम के नोटिस दिनांक 7-3-2003 को आगामी पेशी दि0 8-4-2003 के जारी किये । नोटिसों पर रिपोर्ट आई" उक्त प्रति नोटिस की खुल्ले मकान पर चिपकाई नोटिस लेने से इन्कार हुआ"।"जिस पर गवाह के हस्ताक्षर में केवल खेताराम का अंगूठा निशानी है जिसकी न तो कोई वल्दियत है न कोई पता है । अर्थात इन्कारी अथवा चस्पांदगी की तामिल के लिये दो गवाह जो आवश्यक है वो भी नहीं है और जिस एक व्यक्ति का अंगूठा निशानी

है उसका भी कोई सही पता अथवा वल्दियत दर्ज नहीं ।न्यायालय का भी चस्पांदगी के कोई आदेश नहीं है । इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-20 की तामिल पर्याप्त मानी है वह आदेश-5 नियम 17 से 19 के अनुसार नहीं है। अपीलान्ट को जबाबदेही एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया । तथा पत्रावली में कोई संशोधित शीर्षक भी पेश नहीं किया गया है । प्रतिवादी सं0-3/5(अपीलान्ट सं0-4) व नाबालिग होने पर कोर्ट वली नियुक्त किया गया जिसमें अपीलान्ट के हितोंकी सुरक्षा न कर दावे में इकबालिया जबाब दावा दिया गया है। इकबालिया जबाब दावा को वकील श्री राजेन्द्र यादव एडवोकेट ने सत्यापित भी नहीं किया है ।केवल सत्यापन का प्रमाण पत्र इकबालिया जबाब दावे के साथ लगाया है किन्तु उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये ।पत्रावली में प्रस्तुत अपीलान्ट के नोटिस पर अपीलान्ट की तामिल किसी दिनांक व दिन को हुई यह स्पष्ट नहीं है ।कानूनन चस्पांदगी की तामिल भी सही नहीं है । चस्पांदगी की तामिल होने के बाद एक्स पार्टी तामिल के 30 दिन बाद की जाती है ।अदालत मातहत ने दिनांक 7-3-2003 को नोटिस जारी किये और 8-4-2003 को एक्स पार्टी कर दिया । अर्थात आसामी का कोई इन्तजार नहीं किया गया । अदालती वली ने अपीलान्ट सं0 -4 की ओर से इकबालिया जबाब दावा दिया है जबकि अपीलान्ट संख्या-4 का पिता विवादित आराजी का 1/4 हिस्से का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। खाता संख्या-340 में प्रतिवादी संख्या-3 का(अपीलान्ट के पिता ईश्वर) का नाम खाते में दर्ज रह गया जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने अपने दावे की मद संख्या-2 की अन्तिम 3 लाईनों में स्वीकार किया है ।इसके बाद भी कोर्ट वली ने अपीलान्ट संख्या-4 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश किया है जो एक नाबालिक के अधिकारों का हनन है । अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया जाना प्रमाणित नहीं तथा तामिल भी सम्यक रूप से नहीं हुई है। अतः हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-

20 को जबाब देही एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित एवं विधिक मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतडी का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दि0 21-7-2003, निर्णय दिनांक 12-4-2004 एवं डिक्री दिनांक 16-4-2004 एवं निर्णय दिनांक 5-7-2005 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह ईशर के वारिसान प्रतिवादी संख्या-3/1 से 3/6 (अपीलान्टस् एवं रेस्पोडेन्ट सं0-20) को जबाब देही का अवसर देकर उन्हे सुनवाई का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । निर्णय की एक प्रति अपील संख्या- 79/2005 में संलग्न की जावे । इस अपील का निर्णय भी उक्तानुसार ही किया जाता है । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 14-6-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.5.2018 को सुनाया गया ।

10/5/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर